16.4.18 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस
आगामी पेशी दिनांक 25.5.18
पेश हो (हस्ताक्षर)

25.5.18
पत्रावली पेश हुइ
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस पुनः वास्ते आदेश
आगामी पेशी दिनांक 1.6.18
पेश हो (हस्ताक्षर)

सत्यमेव जयते

1.6.18 पत्रावली पेश हुई। वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः–सुरेन्द्र सिहं पुरोहित, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः–189 सन् 2017

1. वेदप्रकाश 2. सुनील कुमार पिसरान श्री सन्तकुमार, अकवाम, जाति जाट, साकिनान रामसरानारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)

---वादीगण---

बनाम

1. सन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री हंसराज
2. बनीता उर्फ द्रोपती पुत्री श्री सन्त कुमार कौम जाट साकिनान रामसरानारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
3. राजस्थान, स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ–

---प्रतिवादीगण---

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थितः–

1. श्री श्योप्रकाश जाखड़–अभिभाषक वादीगण।

निर्णय दिनांक :– 1.6.18

सत्यमेव जयते

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद घोषणात्मक एवं खाता विभाजन हेतु दिनांक 06.06.2017 को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या–1 के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या–100/30 सम्वत 2071–2074 में तादादी 3.289 हैक्टेयर अर्थात 13 बीघा व खाता संख्या–97/92 में सम्वत 2071–2074 में तादादी 1.012 हैक्टेयर अर्थात 4 बीघा व खाता संख्या–98/91 सम्वत 2071–2074 में तादादी 2.024 हैक्टेयर अर्थात 8 बीघा कुल तादादी 6.235 हैक्टेयर भूमि राजस्व में दर्ज है, का वाद पत्र की मद नं. 3 में अंकित विवरण अनुसार घोषणा कर खाता विभाजन किया जावे।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण नं 1, 2 ने स्वैच्छिक रूप से पारिवारिक सद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से दिनांक 14.07.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी नं. 3 स्टेट के विरूद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। इसलिए तलबी की आवश्यकता नहीं होने से तलबी नहीं करवाई गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1, 2 ने स्वैच्छिक रूप से पारिवारिक संद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से दिनांक 14.07.2017 को राजीनामा पेश किया है जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है।

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे। अपने तर्क की पुष्टि में वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदी चक 22 एसएसडब्लयू सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 97/92, 98/91, 100/30 व राजीनामा दिनांक 14.07.2017 व माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 1998 पेज 615, एआईआर 1976 पेज 807, आरबीजे 1994 पेज 134, 135 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के गहन अध्ययन करने एवं माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त पर मनन करने उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र का निस्तारण करने से सहमति दी है तथा राजीनामा में प्रतिवादिया संख्या–2 ने कोई हिस्सा नहीं लेना स्वीकार किया है। इस कारण वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 14.07.2017 अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में से वादीगण को चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या – 100/30 सम्वत् 2071–74 की तादादी 3.289 हैक्टयर व खाता संख्या 97/92 की तादादी 1.012 हैक्टयर कुल तादादी 4.301 हैक्टयर भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करने के आदेश किये जाते है तथा चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 98/91 जमाबंदी सम्वत् 2071–74 की तादादी 2.024 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी यथावत रहेगी। प्रतिवादिया संख्या 2 प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेने के कारण उसके हिस्सा की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की मुताबिक राजीनामा रहेगी। मुताबिक घोषणा एवं राजीनामा अनुसार चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या–100/30 के पत्थर नम्बर–120/313 (36) के किला नम्बर–21 ता 25, पत्थर नम्बर–119/313 (37) किला नम्बर– 16, 25 व पत्थर नम्बर–120/314 (45) के किला नम्बर–3 ता 8 की तादादी 3.289 हैक्टेयर व खाता संख्या–97/92 के पत्थर नम्बर–120/314 (45) किला नम्बर–15 ता 18 तादादी 1.012 हैक्टेयर कुल तादादी 4.301 हैक्टेयर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी रहेगी तथा चक नं. 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या–98/91 के प.नं. 120/313(36) के किला नं. 1 ता 3, 6 ता 10 की 2.024 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान बाद रहन मुक्त अलग–अलग कायम किया जावे। तादाद 100/– रूपये का स्टाम्प तकमिलन वक्त इजराय शामिल फाईल करवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वय अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिहं पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
(राजस्व) हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

5

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
ाज अदालतः–सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
ीठासीन अधिकारी का नाम :–सुरेन्द्र सिहं पुरोहित, आर.ए.एस.
ाजस्व वाद संख्याः–189 सन् 2017

1. वेदप्रकाश 2. सुनील कुमार पिसरान श्री सन्तकुमार, अकवाम, जाति जाट, साकिनान रामसरानारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)

––वादीगण––

बनाम

1. सन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री हंसराज
2. बनीता उर्फ द्रोपती पुत्री श्री सन्त कुमार कौम जाट साकिनान रामसरानारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
3. राजस्थान, स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़–

––प्रतिवादीगण––

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा। तकसीम खाता।
प्रकरण संख्या 189 सन् 2017 निर्णय दिनांक 1.6.18

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री श्योप्रकाश जाखड़ की उपस्थिति में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 14.07.2017 अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में से वादीगण को चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या – 100/30 सम्वत् 2071–74 की तादादी 3.289 हैक्टयर व खाता संख्या 97/92 की तादादी 1.012 हैक्टयर कुल तादादी 4.301 हैक्टयर भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करने के आदेश किये जाते है तथा चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 98/91 जमाबंदी सम्वत् 2071–74 की तादादी 2.024 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी यथावत रहेगी। प्रतिवादिया संख्या 2 प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेने के कारण उसके हिस्सा की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की मुताबिक राजीनामा रहेगी। मुताबिक घोषणा एवं राजीनामा अनुसार चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या–100/30 के पत्थर नम्बर–120/313 (36) के किला नम्बर–21 ता 25, पत्थर नम्बर–119/313 (37) किला नम्बर– 16, 25 व पत्थर नम्बर–120/314 (45) के किला नम्बर–3 ता 8 की तादादी 3.289 हैक्टेयर व खाता सख्या–97/92 के पत्थर नम्बर–120/314 (45) किला नम्बर–15 ता 18 तादादी 1.012 हैक्टेयर कुल तादादी 4.301 हैक्टेयर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी रहेगी तथा चक नं. 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या–98/91 के प.नं. 120/313(36) के किला नं. 1 ता 3, 6 ता 10 की 2.024 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान बाद रहन मुक्त अलग–अलग कायम किया जावे। तादाद 100/– रूपये का स्टाम्प तकमिलन वक्त इजराय शामिल फाईल करवाया जावे।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी–प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेंगें। आज दिनांक 1.6.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner